

# बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं०-जनसंपर्क- 21/2016-

/वि०स०।

प्रेषक,

सुनील कुमार,  
अवर सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक, हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक, बिहार, पटना।  
विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक जागरण, हिन्दी दैनिक, बिहार, पटना।  
विज्ञापन व्यवस्थापक, हिन्दुस्तान टाइम्स, अंग्रेजी दैनिक, बिहार, पटना।  
विज्ञापन व्यवस्थापक, प्रभात खबर, हिन्दी दैनिक, बिहार, पटना।  
विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक भास्कर, हिन्दी दैनिक, बिहार, पटना।  
विज्ञापन व्यवस्थापक, राष्ट्रीय सहाय, हिन्दी दैनिक, बिहार, पटना।  
विज्ञापन व्यवस्थापक, कौमी तंत्रीम, उर्दू दैनिक, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

फरवरी, 2016 ई०।

विषय:- चौदस बिहार विधान सभा के द्वितीय-सत्र के आवश्यक सूचना से संबंधित विज्ञापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विज्ञापन सामग्री संलग्न करते हुए निर्देशानुसार सूचित करना है कि इसे बिहार राज्य से प्रकाशित होने वाले अपने समाचार पत्र के दिनांक- 25 फरवरी, 2016 के अंक में निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रकाशित करने की कृपा करें :-

- (1) इस विज्ञापन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित डी०ए०वी०पी० दर से भुगतान होगा,
- (2) विज्ञापन 10 से०मी० X 08 से०मी० आकार में होना चाहिए,
- (3) विज्ञापन प्रकाशन के सात दिनों के अंदर विज्ञापन अंक के साथ विषय की तीन प्रतियाँ प्रथम प्रति पर रसीदी टिकट सादर सभा सचिवालय को निश्चित रूप से भेज दें,
- (4) विज्ञापन प्रकाशन के तत्काल बाद विज्ञापन अंक की प्रति सभा सचिवालय को भेज दें,
- (5) अपने समाचार पत्र के लिए निर्धारित डी०ए०वी०पी० दर से संबंधित पत्र की प्रति विषय में अवश्य संलग्न की जाय।
- (6) किसी अन्य भाषा में प्रकाशन के लिए अधिक मूल्य देय नहीं होगा।

विश्वाससम्पन्न,

ह/०-

(सुनील कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

पत्र सं०-जनसंपर्क- 21/2016-

506

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 23 फरवरी, 2016 ई०।

प्रति :- अवर सचिव एवं अन्य एवं दृश्य प्रकाई राखा, बिहार विधान सभा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन दिनांक 25 फरवरी, 2016 को बिहार विधान सभा की वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

(सुनील कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

1

23/2/16  
सुनील कुमार  
अवर सचिव  
बिहार विधान सभा, पटना।

## बिहार विधान सभा सचिवालय

### आवश्यक सूचना

घोड़श बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र दिनांक- 25 फरवरी, 2016 को 11:00 बजे पूर्वो में बिहार विधान सभा चैबरम में आहूत किया गया है, जिसका सीधा वेबकास्टिंग <http://webcast.gov.in/biharvs> तथा [www.vidhansabha.bih.nic.in](http://www.vidhansabha.bih.nic.in) पर देखा जा सकता है । साथ ही सत्र-के दौरान प्रत्येक दिन के प्रश्नकाल सहित सदन की अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाहियों का प्रसारण डीडी बिहार चैनल, दूरदर्शन केंद्र, पटना एवं आकाशवाणी, केंद्र, पटना से किया जाएगा ।

सत्र के दौरान बिहार विधान मंडल परिसर में बाहरी व्यक्तियों एवं अनधिकृत वाहनों का प्रवेश अवांछनीय तथा निषिद्ध है । लिखित अनुमति अथवा प्रवेश-पत्र प्राप्त किये बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति बिहार विधान मंडल की परिसीमा में प्रवेश नहीं करे । सुरक्षा कारणों से बिहार विधान मंडल के पूर्वी मुख्य द्वार (गेट नं०-9 एवं 10) ही प्रवेश के लिए खुले रहेंगे । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सत्र के दौरान विधान मंडल परिसर में अपने साथ अंगरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति को न लाने, सुरक्षा जाँच में सहयोग करते हुए सत्रकाल में काला शीशायुक्त वाहन का प्रयोग नहीं करने, सुरक्षाकर्मियों द्वारा मांगे जाने पर अपना प्रवेश-पत्रक अवश्य दिखलाने तथा सत्र से संबंधित सामग्री ही लाने की कृपा करें ।

**राजीव कुमार**  
प्रभारी सचिव  
बिहार विधान सभा, पटना ।